कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।
Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397
पत्रांक –3468 / 12–1(2) अल्मोड़ा, दिनांक 16/06/ 2025.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– जनपद चम्पावत के अन्तर्गत बिनवालगांव कलियाधूरा (छिड़ाखान) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 8.720 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव संख्या –145468 / 2021)

सन्दर्भ :– आपका पत्रांक– 2397 / 12–1, दि0– 29.03.2025

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में प्रदर्शित आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत, के पत्रांक– 5567 / 12–1 दिनांक– 10.06.2025 द्वारा सूचित किया है, जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है। कृपया अग्रेत्तर कार्यवाही करना चाहें।

संलग्न– उक्तानुसार।

भवदीय

(डॉ धीरज पाण्डेय)
मुख्य वन संरक्षक / वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

o/c

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

Phone No. 05965/230375- Fax No.230180 Email- dfo.champawat@rediffmail.com

पत्रांक 5567 / 12-1 दिनांक , चम्पावत 10-6- 2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊं वृत्त,उत्तराखण्ड
अल्मोडा।

विषयः– जनपद चम्पावत के अंतर्गत बिनवालगांव कलियाधूरा(छिड़ाखान) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 8.720 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (FP/UK/ROAD/145468/2021)

संदर्भः– प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक 2397 / 12–1, दिनांक 29.03.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार के ई0डी0एस0 दिनांक 26.04.2024 के अनुपालन में ई0डी0एस0 उत्तरालेख के अवलोकन के पश्चात यह दृष्टिगत हुआ है कि चाही गयी सूचना प्रस्तावक विभाग से प्राप्त कर मात्र अग्रसारित की गयी है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इस कार्यालय के पत्रांक 1393 / 12–1, दिनांक 28.09.2024 द्वारा उत्तरालेख बिन्दुवार (प्रश्न–उत्तर) रूप में अनुपालन आख्या में उल्लेखित संलग्नकों के साथ पूर्व में प्रेषित किया जा चुका है। जिसकी छायाप्रति संलग्न कर पुनः अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार 4 प्रतियों में।

भवदीय,

(नवीन चन्द्र पन्त)
प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग,चम्पावत।

पत्रांक 5567 / 12-1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चम्पावत को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग,चम्पावत।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

Phone No. 05965/230375- Fax No.230180 Email- dfo.champawat@rediffmail.com

पत्रांक 1393 / 12-1 दिनांक , चम्पावत 28-9- 2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त
उत्तराखण्ड, अल्मोडा।

विषयः– जनपद चम्पावत के अन्तर्गत बिनवालगांव कलियाधूरा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 8.720 हे0 वनभूमि गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में प्रस्ताव स0 (**FP/UK/ROAD**/145468/2021)

संदर्भः– भारत सरकार की पत्र सं0 8बी0/यू0सी0पी0/06/09/2023/एफ0सी0 दिनांक 26.04.2024 व अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चम्पावत की पत्र संख्या 2239/2सी दिनांक 30.08.2024।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र में प्रस्तावक विभाग द्वारा भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, देहरादून द्वारा प्रेषित आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण निम्न प्रकार प्रेषित हैः–

S.N	आपत्तियां	निराकरण
1	It is seen that CA has been proposed over Degraded forest land but as per Van [Sanrakshan evam Samvardhan] Rules 2023. CA is required to be proposed in Non Forest Land only and details there of is required to be submitted/uploaded.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण का स्थल सिविल भूमि मौनकाण्डा में चयनित किया गया है। जिसका डिजिटल मैप संलग्न है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को ऑनलाईन पार्ट 2 बी में अपलोड किया गया है।
2	Complete KML file of area proposed for diversion showing forest area and revenue area [in different colour] is required to be uploaded.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मोटर मार्ग की के0एम0एल0 पूर्व में ही अपलोड की गयी है। जिसमें प्रभावित होने वाली वनभूमि एवं राजस्व भूमि को बार चार्ट में अलग रंग से दर्शाया गया है।
3	Cost benefit analysis is not as per revised NPV rate which is required to be reviewed.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि लागत लाभ विश्लेषण संशोधित एन0पी0वी0 की नई दरों के अनुसार पुनः तैयार कर 4 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की गयी है।
4	NPV calculation sheet as per revised rate is required to be submitted/uploaded.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि एन0पी0वी0 की गणना शीट नई दरों पर पुनः तैयार कर 4 प्रतियों में संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ प्रेषित की गयी है।
5	KML file of three alternatives for the proposed along with comparative statement are required to be submitted.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त आख्या अपलोड कर दी गयी है।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु उच्च स्तर को प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार 4 प्रतियों में।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग,चम्पावत।

पत्रांकः 1393/ 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदय, चम्पावत को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चम्पावत को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।